



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

बेय सं. 55-58, सैक्टर-2, पंचकूला



विज्ञा. सं. 1/2021-22 (एचडब्ल्यूसी-सीपी)/672

दिनांक :20/03/2022

राज्य स्वास्थ्य समिति (हरियाणा) निम्न दिए गए विवरणों अनुसार 18 जिलों में आयुष्मान भारत के तहत अपग्रेड किए जा रहे "सब सेंटर लेवल हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स" (एससी-एचडब्ल्यूसी) पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को प्रावधान कराने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अनुबंध आधार पर मिड-लेवल हैल्थ प्रोवाइडर्स-कम-कम्युनिटी हैल्थ ऑफिसर्स (एमएलएचपी-कम-सीएचओ) के 787 पदों (771 नए +16 बैकलॉग) \* हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

| जिला        | कुल | सामा. | अजा | बीसी-ए | बीसी-बी | इंसएम सामा. | इंसएम अजा | इंसएम बीसीए | इंसएम बीसीबी | इंडब्ल्यूएस सामान्य | ओएसपी सामान्य | ओएसपी बीसी-ए | ओएसपी बीसी-बी | ओएसपी अजा. | पीएच-बीसीए | पीएच सामान्य | इंडब्ल्यूएस पीएच |
|-------------|-----|-------|-----|--------|---------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|------------------|
| अंबाला      | 18  | 4     | 4   | 4      | 1       | 2           | 0         | 0           | 1            | 2                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| भिवानी      | 110 | 38    | 19  | 13     | 8       | 8           | 2         | 2           | 3            | 10                  | 1             | 1            | 1             | 1          | 1          | 1            | 1                |
| चरखीदादरी   | 55  | 19    | 9   | 5      | 4       | 4           | 1         | 2           | 2            | 6                   | 0             | 1            | 0             | 1          | 0          | 1            | 0                |
| फरीदाबाद    | 1   | 1     | 0   | 0      | 0       | 0           | 0         | 0           | 0            | 0                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| फतेहाबाद    | 100 | 34    | 17  | 12     | 7       | 7           | 2         | 2           | 3            | 9                   | 1             | 1            | 1             | 1          | 1          | 1            | 1                |
| गुरुग्राम   | 12  | 4     | 1   | 1      | 0       | 2           | 1         | 1           | 1            | 1                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| हिसार       | 71  | 26    | 11  | 7      | 5       | 4           | 2         | 2           | 2            | 7                   | 1             | 1            | 0             | 1          | 1          | 1            | 0                |
| झज्जर       | 1   | 1     | 0   | 0      | 0       | 0           | 0         | 0           | 0            | 0                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| जौद         | 25  | 10    | 4   | 2      | 2       | 2           | 1         | 1           | 0            | 3                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| कैथल        | 100 | 34    | 17  | 12     | 7       | 7           | 2         | 2           | 3            | 9                   | 1             | 1            | 1             | 1          | 1          | 1            | 1                |
| करनाल       | 23  | 9     | 3   | 3      | 2       | 2           | 1         | 1           | 0            | 2                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| कुरुक्षेत्र | 26  | 8     | 5   | 4      | 1       | 3           | 0         | 0           | 1            | 2                   | 0             | 0            | 1             | 0          | 0          | 0            | 1                |
| मेवात/नूंह  | 2   | 2     | 0   | 0      | 0       | 0           | 0         | 0           | 0            | 0                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| नारनौल      | 20  | 8     | 4   | 2      | 2       | 0           | 0         | 0           | 0            | 2                   | 1             | 0            | 0             | 0          | 1          | 0            | 0                |
| पंचकूला     | 10  | 5     | 1   | 1      | 0       | 0           | 0         | 0           | 1            | 1                   | 0             | 0            | 0             | 1          | 0          | 0            | 0                |
| पानीपत      | 10  | 3     | 2   | 2      | 0       | 1           | 0         | 0           | 1            | 1                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| रेवाड़ी     | 90  | 31    | 15  | 11     | 6       | 7           | 2         | 2           | 3            | 8                   | 0             | 1            | 1             | 1          | 0          | 1            | 1                |
| रोहतक       | 80  | 28    | 13  | 10     | 5       | 6           | 2         | 2           | 2            | 7                   | 0             | 1            | 1             | 1          | 0          | 1            | 1                |
| सिरसा       | 18  | 7     | 3   | 2      | 3       | 1           | 0         | 0           | 0            | 2                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| यमुनानगर    | 15  | 6     | 3   | 2      | 1       | 1           | 0         | 0           | 0            | 2                   | 0             | 0            | 0             | 0          | 0          | 0            | 0                |
| कुल         | 787 | 278   | 131 | 93     | 54      | 57          | 16        | 17          | 23           | 74                  | 5             | 7            | 6             | 8          | 5          | 7            | 6                |

1. योग्य उम्मीदवारों को वेबसाइट [www.nhmharyana.gov.in](http://www.nhmharyana.gov.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा आवेदन प्रपत्र, ओएमआर आधारित परीक्षा एवं काउंसलिंग इत्यादि को भ्रमे हेतु निम्न अनुसूची को अनुसरण करना होगा।

| कार्य  | तिथि/समय/स्थान   | टिप्पणी  |
|--|--|--|
| ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा कराने की खुलने की तिथि एवं समय                                    | 20 मार्च 2022 को पूर्वा.<br>10:00 बजे  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ओएमआर आधारित परीक्षा हेतु वास्तविक स्थान/सेंटर एवं समय के विषय में सूचना उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उनके द्वारा प्रावधानित उनके संपर्क नं. पर 'परीक्षा से एक दिन पहले' एसएमएस द्वारा भेजा जाएगा तथा यह ओएमआर आधारित परीक्षा के एक दिन पहले उनके एडमिट कार्ड पर प्रावधान कराया जाएगा।</li> <li>● इस विज्ञा. से संबंधित सूचना, एसएमएस द्वारा भेजी जाएगी, अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना सही संपर्क नं. दें जो कि हमेशा उनके पास ही रहता है।</li> <li>● उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा की वे चंडीगढ़/पंचकूला पर ओएमआर आधारित परीक्षा हेतु दिए गए समय से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचें।</li> <li>● एनएचएम हरियाणा एसएमएस अथवा ई-मेल के प्राप्त होने/पुष्टि में किसी भी तरह के विलंब हेतु उत्तरदायी नहीं होगा, जैसे कि इस विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों को भौतिक सूचना संप्रेषित नहीं की जाएगी।</li> </ul> |
| ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा कराने की अंतिम की तिथि एवं समय                                    | 06 अप्रैल 2022 को अप.<br>05:00 बजे   |  |
| ओएमआर आधारित परीक्षा हेतु तिथि, समय एवं स्थान  | 24 अप्रैल 2022 को पूर्वा.<br>10:30 से दोप. 12:30 बजे<br>चंडीगढ़/पंचकूला पर         |  |
| दस्तावेज प्रमाणन एवं काउंसलिंग एवं जमानती बॉन्ड हेतु हस्ताक्षरी करने हेतु तिथि समय एवं स्थान | 02 से 17 मई 2022 को पूर्वा.<br>9:00 से अप. 05:00 बजे<br>एनएचएम एसएचव्यू पंचकूला पर |  |

## 2) अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

- 2.1) बीएएमएस अथवा बी.एससी नर्सिंग/पोस्ट-बेसिक बी.एससी नर्सिंग डिग्री. धारक जिन्होंने इग्नू अथवा \*राज्य द्वारा सौंपे गए विश्वविद्यालय/संस्थान से अपना 6 माह का मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग (बीपीसीसीएचएन) को पूरा किया है।
- 2.2) बी.एससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बीएस.सी. नर्सिंग ग्राजुएट्स, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद (नई दिल्ली)\*\* द्वारा जारी सर्कुलर/नोटीफिकेशन (2019) की अनुपालना में बी.एससी नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग पाठ्यचर्या में एकीकृत मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स (एमएलएचपी) कोर्स के साथ अपनी डिग्री पूरी की है।
- 2.3) बीएएमएस. अथवा बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग डिग्री धारक \*\*\*
- क्र.सं. 201, 2.2 एवं 2.3 पर दिए गए अनुसार आवश्यक शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में जरूरी नोट :
- (i) \*& \*\* क्र.सं. 2.1 एवं 2.2 अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों को केवल यह सुनिश्चित करने को निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाणपत्रों को प्रावधाना करना होगा कि इग्नू अथवा किसी भी राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान से 6 माह का बीपीसीसीएचएन अथवा एमएलएचपी कोर्स एमओएचएफडब्ल्यू/भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में भारतीय राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी सर्कुलर/अधिसूचनाओं के संदर्भ में जारी बीएससी नर्सिंग पाठ्यचर्या/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यचर्या में एकीकृत है।
- (ii) \*& \*\* क्र.सं. 2.1 एवं 2.2 अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं के उम्मीदवारों को चयन में वरीयता दी जाएगी, जिस हेतु उन्हें 5 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे तथा उन्हें संपूर्ण मैरिट पर (अर्थात् ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांक + अतिरिक्त 5 अंक विशेष कोर्स हेतु) के क्रम में बतौर मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स-कम-कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (एमएलएचपी-कम-सीएओ) प्रत्यक्ष नियुक्ति दी जाएगी।
- (iii) \*& \*\* क्र.सं. 2.1 एवं 2.2 अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं हेतु मूल प्रमाणपत्र दस्तावेज प्रमाणन के समय सविज्ञा समिति के समक्ष दिखाने होंगे और अगर प्रमाणपत्र 'वैध' नहीं जाए जाते हैं तब उसकी उम्मीदवारिता किसी विशेष जिले हेतु जिस हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है में सीटों की उपलब्धता को देखते हुए एवं केवल ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांक के क्रम में इग्नू से 6 माह के मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग (बीपीसीसीएचएन) हेतु स्वीकार किया जाएगा।
- (iv) \*\*\* क्र.सं. 2.1 एवं 2.2 अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवार किसी विशेष जिले हेतु जिस हेतु उम्मीदवार ने आवेदन किया है में सीटों की उपलब्धता को देखते हुए एवं केवल ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांक के क्रम में इग्नू से 6 माह के मिड-लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिंग (बीपीसीसीएचएन) हेतु स्वीकार किया जाएगा।

## 3. अन्य अनिवार्य योग्यताएं :-

- ए. आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा में छूट हरियाणा सरकार के नियमों के तहत दी जाएगी ।
- बी. दसवीं के स्तर तक हिंदी / संस्कृत भाषा
- सी. सभी चयनित उम्मीदवारों को एमएलएचपी-सह-सीएचओ के तौर पर नियुक्ति के दो महीने भीतर संबंधित काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा / हरियाणा स्टेट नर्सिंग एंड नर्स मिडवाइव्स काउंसिल (पंचकूला), या सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन / इंडियन नर्सिंग काउंसिल (नई दिल्ली) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।



#### 4. मासिक वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ:

विज्ञापित पद एनएचएम हरियाणा के कर्मचारियों हेतु निर्धारित सविस् बाय-लॉज के अनुरूप पीबी-2-9300-34800-4800-18750 के पेबैंड के तहत आते हैं। हालांकि, मौजूदा विज्ञापन के प्रति निम्नलिखित भुगतान किए जाएंगे :-

- शुरूआती 5 वर्षों के लिए मासिक मानदेय 25,000/- रुपए है। (अर्थात पेबैंड 2 के अनुरूप 18,750 + अतिरिक्त मानदेय 6,250 रुपए)  
और 5 वर्षों की संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद वेतन एवं सभी वेतनवृद्धि एवं भत्ते पेबैंड के अनुरूप दिए जाएंगे अर्थात पीबी-2-9300--34800-4800-18750.
- 01 वर्ष के संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद प्रारंभिक वेतन पर 5 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 7
- 05 वर्ष के संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
- 10 वर्ष के संतुष्टिपूर्वक सेवाकाल की समाप्ति के बाद मकान किराया भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रारंभिक 5 वर्षों हेतु एससी-एचडब्ल्यूसी में एमएलएचपी-सह-सीएचओ के तौर पर प्रदर्शन संकेतक के प्रति कार्य करने के बाद 15,000/- रुपए तक की मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि देय होगी। परंतु यदि एक बार वेतन एवं सभी वृद्धियां, भत्ते पीबी2-9300-34800-4800-18750 के तहत सर्विस बाय लॉज में निर्धारित अनुसार तय हो जाते हैं तो मासिक प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि को वापिस ले लिया जाएगा।

#### 5. शुल्क विवरण:-

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को जमा करने के बाद उम्मीदवार को अधोलिखित अनुसार ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में लॉग-इन करके उपलब्ध बैंक खाते में ऑनलाइन शुल्क जमा कराना अपेक्षित होगा :-

| श्रेणी   | शुल्क (रु. में)*     | टिप्पणी   |
|--|----------------------|---|
| सामान्य श्रेणी   | 100/-रु. प्रति आवेदन | सामान्य श्रेणी के दृष्टि बाधित एवं शारीरिक दिव्यांग उम्मीदवारों जिनकी दिव्यांगता 40% से कम न हो, को छोड़कर  |
| सामान्य श्रेणी से संबंधित दृष्टि बाधित एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार निका दिव्यांगता 40% से कम नहीं है | 50/-रु. प्रति आवेदन  | उनके जिले के सिविल सर्जन या मुख्य चिकित्सा अधिकारों के कार्यालय द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता के साथ दृष्टि बाधित या शारीरिक दिव्यांगता के प्रमाण पत्र के विषयाधीन |
| सभी आरक्षित श्रेणियां (अर्थात एससी, बीसी-ए, बीसी-बी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, ओएसपी)                                 | 50/-रु. प्रति आवेदन  | हालांकि आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा जिले से संबंधित उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा।  |

\* यदि कोई उम्मीदवार विभिन्न जिला/श्रेणियों में एक से अधिक आवेदन जमा करता है तो उसे प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा तथा उसकी उम्मीदवारिता केवल उस आवेदन के प्रति मान्य होगी जिसके लिये वह ओएमआर आधारित परीक्षा में उपस्थित होगा। अपेक्षित शुल्क केवल ऑनलाइन जमा कराना अपेक्षित होगा और किसी नगद/भौतिक शुल्क की अनुमति नहीं होगी।

#### महत्वपूर्ण नोट :

- शुल्क जब एक बार एनएचएम हरियाणा के पक्ष में जमा हो जाने पर सभी स्थितियों/हालातों में ना तो प्रतिदेय है और ना ही उसकी प्रतिपूर्ति होगी।
- यदि उम्मीदवार अपेक्षित शुल्क जमा करने में असफल रहता है तो उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त/रद्द हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया हेतु माना नहीं जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक बार से अधिक आवेदन करता है तो उसे प्रत्येक आवेदन हेतु अलग से शुल्क जमा कराना होगा, तथा उसकी उम्मीदवारिता केवल उस जिले एवं श्रेणी हेतु मानी जाएगी जिसके लिये वो ओएमआर आधारित परीक्षा में उपस्थित होगा।

6. उम्मीदवारों के लिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एवं अनिवार्य औपचारिकताएं :-

- ऑनलाइन शुल्क सहित ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 06 /04 / 2022 को सायं 5:00 बजे तक है।
- उम्मीदवार केवल एक जिले हेतु आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि चयन हेतु मेरिट सूची जिलानुसार तैयार की जाएगी।
- पद गैर-हस्तांतरण योग्य एवं गैर-प्रतिनियुक्ति योग्य है और चयनित उम्मीदवारों को जिले में उप केंद्र स्तरीय हेल्थ एंड एवं वेलनेस केंद्र में नियुक्ति दी जाएगी, जिसका उन्होंने चयन किया होगा।
- ओएमआर आधारित दो घंटे की परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि अधोलिखित सिलेबस एवं प्रोग्रामिक जानकारी पर आधारित होगी:-

**सिलेबस की अस्थायी कवरेज**

| सिलेबस/ प्रोग्रामिक जानकारी*   | प्रश्न पत्र* में अनुमानित कवरेज |
|--|---------------------------------|
| सीसीआईएम एवं आईएनसी का बीएमएस, बेसिक बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सिलेबस  | 60% तक                          |
| सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स   | 10% तक                          |
| रीजनिंग एवं मेथेमेटिक्स एपीच्यूड   | 10% तक                          |
| रीप्रोडक्टिव, मेटर्नल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ और एडोलसेंस ( आरएमएनसीएच ) और एनएचएम के अधीन आते सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम।                                   | 10% तक                          |
| इंडियन नर्सिंग काउंसिल ( नई दिल्ली ) द्वारा जारी सकूलर अधिसूचनाओं ( 2019 ) के अनुरूप बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करिकलम में एकीकृत एमएलएचपी कोर्स। | 10% तक                          |

\* ओएमआर परीक्षा हेतु संदर्भ केवल सूचनात्मक हैं और अतिरिक्त प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

- विज्ञापित पदों हेतु आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापनगण्डिपत्र (यदि हुआ) के अनुसार संबंधित पदों हेतु सभी योग्यता शर्तों को पूर्ण करते हों। भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर उनकी उम्मीदवारी अस्थायी होगी और निर्धारित पात्रता शर्तों की योग्यताओं को पूरा करने के विषयाधीन होगी। मात्र आवेदन प्रपत्र एवं अपेक्षित शुल्क जमा करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक की विज्ञापित पद हेतु योग्य है।
- यदि कोई अयोग्य आवेदक आवेदन करता है तो बिना किसी जानकारी दिए उसका आवेदन प्रपत्र निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि, विज्ञापित पद हेतु अयोग्य उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार न करने हेतु अनिवार्य कदम उठाए जाएंगे, फिर भी यदि कोई अयोग्य उम्मीदवार आवेदन करता है या ओएमआर आधारित परीक्षा में बैठा है, तो उसे आगे चयन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा और उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- जिलानुसार अस्थायी चयन ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों एवं उम्मीदवारों, जो पहले से ही बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के करिकुलम में एकीकृत बीपीसीसीएचएन कोर्स या एमएलएचपी कोर्स को पूर्ण कर चुके हों, को दिए गए अतिरिक्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।
- जो उम्मीदवार 2019 से पहले अपना बीएमएस या बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पूर्ण कर चुके हैं, वह अनिवार्य योग्यता के तौर पर सीधे तौर पर अतिरिक्त 5 अंकों के लिए योग्य नहीं होंगे, क्योंकि संबंधित कोर्स (राज्य द्वारा प्रदत्त बीपीसीसीएचएन/आईजीएनओयू या विश्वविद्यालय संस्थान और बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करिकुलम में एकीकृत एमएलएचपी कोर्स) 2019 से पूर्व अस्तित्व में ही नहीं थी।
- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अतिरिक्त अंकों का दावा कर रहे आवेदकों को राज्य द्वारा निर्धारित इग्नू या विश्वविद्यालय गसंस्थान द्वारा जारी बीपीसीसीएचएन प्रमाण-पत्र या फिर 'एमओएचएफडब्ल्यू / जीओआई के दिशानिर्देशों की अनुपालना में 2019 में इंडियन नेशनल नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा जारी सकूलर/अधिसूचनाओं के संदर्भ में उनके संस्थान द्वारा जारी बीएससी नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करिकलम में एकीकृत एमएलएचपी कोर्स, की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
- अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन एवं ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम कटेगरी अनुसार एवं जिलानुसार मेरिट के साथ-साथ पांच अंक उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो पहले ही बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बीएससी नर्सिंग के करिकुलम में एकीकृत बीपीसीसीएचएन या एमएलएचपी कोर्स को पूर्ण कर चुके हों, जिसके लिए उन्हें, शैक्षणिक योग्यता एवं बीपीसीसीएचएन / एमएलएचपी कोर्स, आयु, आरक्षण लाभ (यदि है), मूल रूप से हरियाणा निवास आदि के नियमों में अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- संदर्भित कोर्सेस के लिए अतिरिक्त पांच अंक प्राप्त करने हेतु किसी अन्य प्रमाण-पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी और आरक्षण एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु अतिरिक्त अंकों का दावा करने हेतु मूल प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं शैक्षणिक योग्यताओं के किसी लाभ का दावा करने हेतु निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी।



- (X) अंतिम चयन दस्तावेज सत्यापन एवं ओएमआर आधारित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम केटेगरी अनुसार एवं जिलानुसार मेरिट के साथ-साथ पांच अंक उन उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जो पहले ही बीएससी नर्सिंग / पोस्ट बीएससी नर्सिंग के करिकूलम में एकीकृत बीपीसीसीएचएन या एमएलएचपी कोर्स को पूर्ण कर चुके हों, जिसके लिए उन्हें, शैक्षणिक योग्यता एवं बीपीसीसीएचएन / एमएलएचपी कोर्स, आयु, आरक्षण लाभ (यदि है), मूल रूप से हरियाणा निवास आदि के नियमों में अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (xi) संदर्भित कोर्सेस के लिए अतिरिक्त पांच अंक प्राप्त करने हेतु किसी अन्य प्रमाण-पत्र को मान्यता नहीं दी जाएगी और आरक्षण एवं अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हेतु अतिरिक्त अंकों का दावा करने हेतु मूल प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षण एवं शैक्षणिक योग्यताओं के किसी लाभ का दावा करने हेतु निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त प्रमाण-पत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी।
- (xii) हरियाणा के मूल निवासी होने का वैध प्रमाण-पत्र धारक हरियाणा के मूल निवासियों के लिए विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण लाभ पर विचार को माना जाएगा। आगे यदि उम्मीदवार पूर्व सैनिक (स्वयं/अश्रित), उत्कृष्ट खिलाड़ी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ए एव बी श्रेणी) और वित्तीय रूप से कमजोर वर्ग (सामान्य श्रेणी) हेतु आरक्षण लाभ का दावा कर रहे हैं तो उन्हें संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध योग्य प्रमाण-पत्र (पत्रों) को अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- (xiii) विशिष्ट श्रेणी के अधीन आरक्षण लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों- अनुसूचित जाति (एससी) / पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए) / पिछड़ा वर्ग बी (बीसी-बी) / वित्तीय रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस:अन्य शर्तों सहित आठ लाख वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र) ग उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी: केवल प्रदेश निदेशालय द्वारा जारी प्रेडेशन / मेरिट प्रमाण-पत्र) / पूर्व सैनिक (ईएसएम: आश्रित के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र एवं स्वयं के मामले में डिसचार्ज-बुक /एनओसी) की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
- (xiv) यदि उपयुक्त पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों की अनुपलब्धता के चलते पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण कोटा भरा नहीं जाता तो ईएसएम कोटा के अधीन उपलब्ध आरक्षित सीटों के विस्तार तक स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों / पौत्र-पौत्रियों को अवसर दिया जाएगा।
- (xv) प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पात्रता के संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय पर शपथ-पत्र जमा करना होगा, यदि वह किसी भी विशिष्ट श्रेणी के अधीन आरक्षण लाभ का दावा कर रहा है।
- (xvi) भौतिक रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांग उम्मीदवारों के मामले में यदि सहायक की आवश्यकता है तो ओएमआर आधारित परीक्षा से कम से कम दो दिन पूर्व सक्षम प्राधिकारी अर्थात (मिशन निदेशक-एनएचएम हरियाणा) की पूर्वानुमति आवश्यक है। सहायक की सुविधा प्राप्त करने हेतु सभी संबंधित दस्तावेजों सहित संबंधित सिविल सर्जन के कार्यालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (xvii) सभी उम्मीदवारों को ओएमआर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने में ऑनलाइन जारी किया गया प्रवेश-कार्ड /रोल नंबर एवं पहचान प्रमाण की मुद्रित प्रति अपने साथ लानी होगी।
- (xviii) चयनित उम्मीदवारों को काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों को सभी प्रमाण-पत्रों के स्व-सत्यापित पांच सैट, पांच पारपत्र आकार के फोटो, तीन वर्ष की जाँच के इकरारनामे हेतु 100/-रुपए का ब्लैक श्योरिटी बॉण्ड, एनएचएम- हरियाणा के साथ अनुबंध हेतु 10/- रुपए का ब्लैक स्टॉप पेपर साथ लाना अनिवार्य होगा।
- (xix) नियम एवं शर्तों को समझने के लिए उम्मीदवार की अग्रिम जानकारी हेतु श्योरिटी बॉण्ड की नमूना प्रति को एनएचएम की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जिसे काउंसलिंग के समय एनएचएम एसएचक्यू टीम द्वारा मुद्रित किया जाएगा।
- (xx) यदि कोई उम्मीदवार निश्चित अनुसूची के अनुसार काउंसलिंग सत्र में उपस्थित होने में असफल रहता है तो उसकी उम्मीदवारी को उक्त पद हेतु निरस्त माना जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
- (xxi) चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में निरंतर न्यूनतम तीन वर्ष हेतु एनएचएम, हरियाणा की सेवा करना अनिवार्य होगा जो उन्होंने चयनित / आवेदित किया था। यदि कोई उम्मीदवार तीन वर्ष से पूर्व सेवा छोड़ देता है तो उसे एनएचएम वेबसाइट पर उपलब्ध श्योरिटी बॉण्ड के अनुरूप वित्तीय जुर्माना अदा करना होगा। इस कारण हेतु प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा एनएचएम एसएचक्यू के साथ तीन वर्ष हेतु एक बॉण्ड हस्ताक्षरित करना होगा।
- (xxii) यदि किसी विशिष्ट श्रेणी में लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो मेरिट उनकी आयु में वरिष्ठता पर आधारित होगी। यदि फिर भी मेरिट समकक्ष रहती है तो अंतिम मेरिट उनकी पात्रता डिग्री में प्राप्तांकों पर आधारित होगी।
- (xxiii) एनएचएम, हरियाणा के अधीन पहले से ही कार्यरत एमएलएचपी-सह-सीएचओ वर्तमान में मान्य नियमों के अनुसार तीन वर्ष के बॉण्ड का पालन करेंगे। हालांकि, उन्हें इस विज्ञापन हेतु आवेदन करने की सलाह नहीं दी जाती, फिर भी यदि उनमें से कोई आवेदन करता है तो वे उनके द्वारा उनके पूर्व में चयन के समय एनएचएम हरियाणा के साथ हस्ताक्षरित श्योरिटी बॉण्ड की शर्तों के अनुसार प्रशासनिक कार्यवाई हेतु जवाबदेह होंगे।
- (xxiv) एनएचएम, हरियाणा के अधीन पहले से ही कार्यरत एमएलएचपी-सह-सीएचओ, जो वर्तमान विज्ञापन के अनुरूप आवेदन करेंगे, उन्हें आवेदन-पत्र में एनएचएम- एसएचक्यू की जानकारी हेतु अपना स्टेटस घोषित करना अपेक्षित होगा। यदि कोई मौजूदा एचएलएचपी-सह-सीएचओ, जो एनएचएम- हरियाणा के साथ अपने कार्य करने के तथ्य को छिपाता है, तो उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।
- (xxv) ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने के संबंध में कोई तकनीकी समस्या आती है तो उम्मीदवार [choexam2022@gmail.com](mailto:choexam2022@gmail.com) पर मेल कर सकता है। यह ई-मेल केवल आवेदन की अंतिम तिथि तक कियाशील रहेगी।

## 7. अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र भरने और निर्धारित शुल्क जमा करने से पूर्व सभी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ लें।
- (i) उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि वह संबंधित पद हेतु पात्रता मानदंड की सभी आहताएं पूर्ण करते हों।
  - (ii) जॉब प्रोफाइल और टर्म ऑफ रेफरेंस आदि एनएचएम की वेबसाइट [www.nhmharyana.gov.in](http://www.nhmharyana.gov.in) में उपलब्ध लिंक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कसेप्ट नोट एवं संचालन दिशा-निर्देश में प्रदत्त हैं।
  - (iii) अपेक्षित शुल्क सहित ऑनलाइन प्रपत्र को सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे गए आवेदन प्रपत्र का प्रिंट-आउट लेना होगा।
  - (iv) डाक द्वारा या दस्ती आवेदन एवं शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा और कंवल ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क पर ही विचार होगा।
  - (v) ओएम आधारित परीक्षा /काउंसलिंग/ दस्तावेज सत्यापन आदि में आने / उपस्थित होने के लिए कोई टीए/डीए देय नहीं होगा।
  - (vi) यदि यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने गलत जानकारी / दस्तावेज दिए हैं तो चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उसकी नियुक्ति/भर्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त /समाप्त कर दिया जाएगा।
  - (vii) आरक्षण और आयु सीमा में छूट केवल हरियाणा सरकार की नीतियों एवं एनएचएम के नियमानुसार देय होगी।
  - (viii) लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची एनएचएम हरियाणा की शासकीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
  - (ix) उम्मीदवारों को ओएमआर आधारित परीक्षा, काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन या अनुसूचित तिथि में किसी परिवर्तन के लिए उनके द्वारा दी गई ई-मेल या एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा।
  - (x) मोबाइल फोन या केलकुलेटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गेजेट आदि को परीक्षा भवन में ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
  - (xi) पदों की संख्या एनएचएम हरियाणा की आवश्यकतानुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
  - (xii) एनएचएम हरियाणा उम्मीदवारों को बिना कारण बताए संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को किसी भी समय किसी भी स्तर पर निरस्त करने को अधिकृत है।
  - (xiii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इन पदों हेतु चयन के संबंध में नवीनतम अपडेट्स के लिए एनएचएम हरियाणा की वेबसाइट [www.nhmharyana.gov.in](http://www.nhmharyana.gov.in) को नियमित रूप से देखते रहें, क्योंकि किसी अपडेट की कोई विशेष जानकारी किसी अन्य माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएगी।
  - (xiv) योग्यता पात्रता शर्तें, आयु एवं अन्य दस्तावेजों के संबंध में अंतिम तिथि विज्ञापन में दिए अनुसार ऑनलाइन आवेदन करने की निश्चित अंतिम तिथि, जिसे समय-सीमा की समाप्ति भी कहा जा सकता है, अर्थात् 06/04/2022 होगी।
  - (xv) कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी उम्मीदवारों को ओएमआर आधारित परीक्षा एवं काउंसलिंग / दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय कोविड-149 संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन अपेक्षित होगा, विशेषकर मास्क धारण करना, सामाजिक दूरी बनाकर रखना एवं सेनेटाइजर आदि का इस्तेमाल करना। हालांकि, एनएचएम हरियाणा की ओर से उम्मीदवारों के लिए सेनेटाइजेशन हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे, फिर भी यदि उम्मीदवार चाहें तो वह लिखित परीक्षा एवं काउंसलिंग स्थल पर 100एमएल क्षमता वाली सेनेटाइजर की पारदर्शी बोतल अपने साथ ला सकते हैं।

हस्ता / -

मिशन निदेशक

एनएचएम हरियाणा, पंचकूला